न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– रवीन्द्र कुमार, R.A.S.

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या :– 01 / 2019

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
अमरसिंह पुत्र किशोरसिंह जाति राजपूत, निवासी बाला, तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा जिला जोधपुर

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–A राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– प्रार्थी की ओर से श्री गणपतलाल चौधरी एडवोकेट

अप्रार्थी सरकारी पैरोकार।

निर्णय

दिनांक :– 31/7/2019

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बाला तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 1309 / 1 रकबा 01 बीघा आई हुई है। यह भूमि प्रार्थी की खातेदारी की है। प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1309 / 1 रकबा 01 बीघा के पश्चिमी दिशा की ओर अप्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 1201 रकबा 23 बीघा 07 बिस्वा किस्म नहरी अवल स्थित है। प्रार्थी अपनी खातेदारी खसरा नम्बर 1309 / 1 रकबा 01 बीघा की भूमि में बरसात के समय खेत की बुआई करने हेतु खसरा नम्बर 1128 रकबा 34 बीघा 10 बिस्वा गैर मुमकीन सड़क से अप्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1201 रकबा 23 बीघा 07 बिस्वा के ए.बी.सी.डी. मार्क स्थित रास्ता से होकर आते जाते है तथा इसी ए.बी.सी.डी. मार्क रास्ते से प्रार्थी अपना ट्रेक्टर, मोटरसाईकिल आदि साधन लेकर जाते है। प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1309 / 1 रकबा 1 बीघा में काश्तकार्य करने हेतु का यही एकमात्र वैकल्पिक रास्ता है, जिसका नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र के साथ सलंग्न है। अभी 10 दिन पहले प्रार्थी ने अप्रार्थी से निवेदन किया कि भूमि खसरा नम्बर 1309 / 1 रकबा 01 बीघा में काश्त कार्य करने हेतु रास्ता दीजिये तो अप्रार्थी ने प्रार्थी को कहा कि आप सक्षम न्यायालय के समक्ष दावा पेश करके रास्ते को प्राप्त कर सकते है। प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1309 / 1 रकबा 01 बीघा में काश्त करने हेतु अप्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 1201 रकबा 23 बीघा 07 बिस्वा के ए.बी.सी.डी. भाग से होकर गुजरना पड़ता है और यही भूमि खसरा नम्बर 1309 / 1 रकबा 01 बीघा में जाने हेतु एकमात्र वैकल्पिक रास्ता है। भूमि खसरा नम्बर 1201 के ए.बी.सी.डी. भाग से ही भूमि खसरा नम्बर 1309 / 1 में जाने हेतु काश्त कार्य हेतु अपने ट्रेक्टर मवेशी, मोटर साईकिल इत्यादि को लेकर जाते है। इस प्रकार प्रार्थी भूमि खसरा नम्बर 1201 के ए.बी.सी.डी. भाग के रास्ते को पीढियों से उपयोग व उपभोग में लेते आ रहे है। प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1309 / 1 रकबा 01 बीघा में काश्तकार्य करने का अप्रार्थी की

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर
एव उप खण्ड अधिकारी
बिलाडा

भूमि खसरा नम्बर 1201 में स्थित मार्क ए.बी.सी.डी. का रास्ता आत्यतिक आवश्यकता का मार्ग है। इस कारण प्रार्थी को अप्रार्थी के विरूद्ध खसरा नम्बर 1201 में स्थित ए.बी.सी.डी. मार्क के रास्ते को राजस्व रेकर्ड में राजकीय रास्ता दर्ज कराने हेतु का यह प्रार्थना पत्र पेश करना पड़ रहा है। अन्त में निवेदन किया कि ग्राम बाला तहसील बिलाड़ा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1309/1 रकबा 01 बीघा में प्रार्थी को काश्त कार्य करने के लिए आने–जाने हेतु भूमि खसरा नम्बर 1201 रकबा 23 बीघा 07 बिस्वा के ए॰बी॰सी॰डी॰ भाग से होकर रास्ता निकलता है, जो खसरा नम्बर 1309/1 में पहुंचता है, जिसको प्रार्थी हर प्रकार से खेत की बुवाई व अन्य काश्त कार्य के रूप में उपभोग में लेते है, जिसे राजस्व रेकर्ड में राजकीय रास्ता घोषित किया जावें तथा राजकीय रास्ते का नामान्तरकरण स्वीकृत करने का आदेश तहसीलदार बिलाड़ा को फरमाया जावें। खसरा नम्बर 1201 रकबा 23 बीघा 07 बिस्वा में स्थित ए॰बी॰सी॰डी॰ मार्क के रास्ते को राजस्व रेकर्ड नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से तरमीम करने का आदेश तहसीलदार बिलाड़ा को फरमावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। मौजूदा मामला धारा 251 ए राजस्थान टीनेंसी एक्ट के अन्तर्गत होने से अप्रार्थी तहसीलदार बिलाड़ा को मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया। जिस पर तहसीलदार बिलाड़ा ने विवादित भूमि की मौका रिपोर्ट इस न्यायालय को पेश की गयी, जो मौका फर्द रिपोर्ट इस आधार की पेश की गयी कि प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 1309/1 में आने जाने का वैकल्पिक रास्ता नही है। प्रार्थी अपने खेत में ग्राम बाला के खसरा नम्बर 1201 कुल रकबा 23 बीघा 07 बिस्वा किस्म नहरी अवल जो श्री सरकार के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है जिसमें से आना जाना करता है। प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ता सबसे नजदीकी रास्ता है जो सरकारी खसरे के बीच में से चाहा गया है। वांछित रास्ते की भूमि पर कोई कच्चा पक्का निर्माण नही किया हुआ है। प्रार्थी को रास्ता दिया जाने से सरकारी खसरे के दो भाग हो जायेंगे। प्रार्थी द्वारा जिस भूमि में से रास्ते हेतु मांग की गई है वह भूमि ग्राम बाला के खसरा नम्बर 1201 कुल रकबा 23 बीघा 07 भूमि श्री सरकार के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। उक्त खातेदारी भूमि पैतृक नही है प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ता सरकारी भूमि के खसरे के मध्य में से चाहा गया है जो दिया जाना उचित नही है। प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ता की भूमि का रकबा 04 बिस्वा राशि 14040 बनती है।

हमने उभय पक्षकारान के योग्य अधिवक्ता की बहस सुनी और योग्य अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया और कथन किया कि प्रार्थी को अपने खेत में कृषि कार्य करने हेतु रास्ता दिलवाया जावे। मौका कमीश्नर रिपोर्ट दिनांक 17.07.2019 के अनुसार ए.बी.सी.डी. का रास्ता प्रार्थी को दिलवाया जावे ताकि प्रार्थी अपने खेत में पहुचकर खेती कर सके। प्रार्थी उक्त रास्ते की मुआवजा की राशि अप्रार्थी को अदा करने को तैयार है।

हमने प्रार्थी के योग्य अधिवक्ता व सरकारी पैरोकार की बहस पर मनन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ग्राम बाला तहसील बिलाड़ा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1309/1 रकबा 01 बीघा में प्रार्थी को काश्तकार्य करने हेतु खसरा नम्बर 1201 रकबा 23 बीघा 07 बिस्वा के ए.बी.सी.डी. भाग से होकर

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
सत्यमेव जयते
सहायक कलेक्टर
एव उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

ही रास्ता चलता है, जो खसरा नम्बर 1309/1 में पहुचता है मौका कमीश्नर की रिपोर्ट से भी इस तथ्य की ताईद होता है। तहसीलदार बिलाड़ा ने अपनी रिपोर्ट से यह भी स्पष्ट किया कि सरकारी भूमि से रास्ता दिया जाना उचित नही है लेकिन राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र कमांक प04(52) राज'–6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.13 के अनुसार अगर प्रार्थी की भूमि में आने जाने हेतु अन्य वैकल्पिक रास्ता नही होने पर एवं सबसे निकटतम सरकारी भूमि में से अधिकतम 30 फुट चौड़ा रास्ता डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि से दिया जा सकता है। प्रार्थी को अपनी भूमि खसरा नम्बर 1309/1 में काश्त कार्य करने का पूरा हक व अधिकार है, अगर काश्त कार्य नही किया जायेगा तो उसका जीवन निर्वाह चलेगा नही। इस कारण प्रार्थी को अपने खेत में कृषि कार्य करने हेतु रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता है, इसलिए रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। भू अभिलेख निरीक्षक के द्वारा मौका फर्द जॉच रिपोर्ट दिनांक 17.07.2019 एवं उसके साथ पेश किया गया संलग्न नजरी नक्शा में दर्शाये मार्क ए.बी.सी.डी. भाग को सार्वजनिक रास्ता घोषित किया जाता है प्रार्थी अप्रार्थी को डी.एल. सी. की दर से दुगुनी राशि जरिये चालान अदा कर इस न्यायालय में चालान की प्रति पेश करेंगे। भू. अभिलेख निरीक्षक एवं हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द रिपोर्ट मय नजरी नक्शा दिनांक 17.07.2019 को इस आदेश के साथ अभिन्न अंग समझा जावे। तहसीलदार बिलाड़ा इसी माफिक राजस्व रेकर्ड में भूमि का नामान्तरकरण स्वीकृत कर नक्शा ट्रेस में तरमीम करे एंव मौके पर रास्ता खोलने की कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट मय मौका फर्द व नजरी नक्शा (मय तरमीम) के साथ पेश करे। निर्णय की प्रतिलिपि तहसीलदार बिलाड़ा को पालना हेतु मय तहरीर के भेजी जाकर पालना रिपोर्ट मंगवाई जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे।

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
सत्यमेव जयते

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

सहायक कलेक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 31.7.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
सत्यमेव जयते

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

सहायक कलेक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा